



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29122021-232241
CG-DL-E-29122021-232241

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5036]
No. 5036]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 29, 2021/ पौष 8, 1943
NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 29, 2021/PUSHA 8, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2021

का.आ. 5442(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. , जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा गुजरात राज्य के बनावसकांठा जिले में NH27 के कि.मी. 0.254 से कि.मी.2.117 (ऑफिस ऑफ द डेप्यूटी कलेक्टर, जोरावर पैलेस, पालनपुर) तक के भूखण्ड पर टोल प्लाजा के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "22/08/2021 & 23/08/2021" को "संदेश समाचार पत्र" और "टाइम्स ऑफ इंडिया" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले में किमी 343/9162 से किमी 346/210 (ऑफिस ऑफ द डेप्यूटी कलेक्टर जोरावर पैलेस पालनपुर) के भूखंड NH 27 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: गुजरात		जिले का नाम: बनासकांठा			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: पालनपुर				
	गांव का नाम: पालनपुर (ग्राम्य) (लक्ष्मीपुरा) (ओ.जी)				
1	2543	निजी	गैर कृषि	0.1122	चंदुलाल इब्राहिमभाई आंबा, सुनाद हर्मी, हिंदु समाज ट्रस्ट, पुलिस अधीक्षक बनासकांठा (2543)
2	3150	निजी	गैर कृषि	0.2359	अल्पेशभाई गुप्ता, दिलसुखभाई अग्रवाल ()
3	3152	निजी	गैर कृषि	0.0894	सुभाषभाई वकील, शिवरामभाई ईश्वरभाई पटेल, दिनेशभाई पटेल ()
4	3163	निजी	गैर कृषि	0.1745	आर्.वी.गढवी, महेशभाई अमृतभाई पटेल , हीराभाई , गायत्री मंदिर ट्रस्ट ()

5	3165	निजी	गैर कृषि	0.027	गौतमभाई शंकरभाई पटेल, रणछोडभाई मानवर ()
6	3169	निजी	गैर कृषि	0.0651	शिवरामभाई ईश्वरभाई पटेल ()
7	3170	निजी	गैर कृषि	0.0817	दिलसुखभाई अग्रवाल ()
			कुल	0.7858	

[फा. सं. : 07/2020/GJ/ZONE-V/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

Notification

New Delhi the 28th, December, 2021.

S.O 5442. (E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, , published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for construction of Toll Plaza Maintenance, management and operation of NH27 on the stretch of land from Km 0.254 to Km 2.117 (OFFICE OF THE DEPUTY COLLECTOR JORAVAR PALACE PALANPUR) in the district of Banaskantha in the state of GUJARAT

And whereas the substance of the said notification has been published in “Sandesh News Paper” and “Times of India” both dated 22/08/2021 & 23/08/2021; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH27 in the stretch of land from Km. 343/9162 to Km 346/210 (OFFICE OF THE DEPUTY COLLECTOR JORAVAR PALACE PALANPUR) in the district of Banaskantha in the State of GUJARAT.

State: GUJARAT		District: Banaskantha			
Sr. NO.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No:
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Palanpur				
	Village: Palanpur (Rural) (Laxmipura) (OG)				
1	2543	Private	Non - Agriculture	0.1122	Chandulal Ibrahimabhai Aamba, sunad hurmi, Hindu Samaj Trust, Police superintendent Banaskantha 2543
2	3150	Private	Non - Agriculture	0.2359	Alpeshbhai Gupta, Dilsukhbhai Agrawal
3	3152	Private	Non-Agriculture	0.0894	Subhashbhai Vakil, Shivarambhai Ishvarbhai Patel, Dineshbhai Patel
4	3163	Private	Non-Agriculture	0.1745	R.V.Gadhavi, Maheshbhai Amrutbhai Patel, Hirabhai , Gayatri Mandir Trust
5	3165	Private	Non-Agriculture	0.027	Gautambhai Sankarbhai Patel, Ranchhodbhai Manvar
6	3169	Private	Non-Agriculture	0.0651	Shivarambhai ishvarbhai patel
7	3170	Private	Non-Agriculture	0.0817	Dilsukhbhai agrawal
			TOTAL	0.7858	

[F. No. : 07/2020/GJ/ZONE-V/3D]

RAJESH GUPTA, Directore